

समयबद्ध

संख्या: २५५ / चालीस-2019-18(1)/2019

प्रेषक,

प्रांजल यादव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

10/11/19  
M  
कुलपति

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

तखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2019

विषय: वर्ष 2019-20 के लिये "गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" हेतु प्रस्ताव  
उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया "गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" दिये जाने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1340/चालीस-2001-15(10)/99, दिनांक 03 अगस्त, 2001 द्वारा पूर्व में परिचालित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की वेबसाइट <https://nationalintegdep.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार प्रश्नगत पुरस्कार प्राप्त करने की अर्हताएं निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:-

- क- भारत का मूल नागरिक हो।
- ख- उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हो,
- ग- मानवाधिकार, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो।
- घ- गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार न दिया जा चुका हो।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निवासरत व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति, जिसने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस हेतु पूर्णतः समर्पित रहे हो, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरु गोविन्द सिंह जी

प्रो. श्रीमती  
Univ. Website  
Notice display  
4/5/19  
A. K. Mulla  
Coordinator  
D. O. A. C.  
7-8-19

62  
05/08/19

Recd.  
5/8/19

के जन्म दिवस (5 जनवरी) पर "गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" प्रदान किये जाने व रूपये एक लाख का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मण्डल/जनपद से इस पुरस्कार के मापदण्डों को पूरा करने वाले पात्र महानुभावों के प्रस्ताव उद्भूतके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का तथ्यात्मक विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ संलग्न प्रारूप में स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति सहित शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक चार प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- मार्ग-दर्शी सिद्धान्त में निर्धारित प्रक्रियानुसार समाचार पत्रों व अन्य प्रसार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करके निर्धारित प्रारूप में पुरस्कार हेतु पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र/नामांकन को संकलित कर निर्धारित तिथि तक शासन को उपलब्ध कराया जाए।

5- जिन महानुभावों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त आख्या में व्यापक जाँच कर तथ्यात्मक विवरण अभिलेखीय साक्ष्यों सहित यह भी प्रमाण-पत्र अंकित किया जाय कि उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला प्रचलित/लम्बित नहीं है और किसी भी अपराधिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दण्डित नहीं किया गया है।

6- यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य के लिए जनपद के वरिष्ठ अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपा जाय एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।  
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(प्रांजल यादव)

विशेष सचिव।

संख्या: 245 (1)/पालीत-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अनुसूचित जाति जनजाति/अल्प संख्यक कल्याण आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को उक्त पुरस्कार के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

आज्ञा से,

(प्रांजल यादव)

विशेष सचिव।